प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाणपत्र परीक्षा 2016–17

प्रश्नपत्र निर्माण हेतु सामान्य दिशा निर्देश :–

1. प्रश्न पत्रों में प्रश्नों की संख्या 24–30 तक रखा जाना सुनिश्चित किया गया है।
2. प्रत्येक प्रश्नपत्र का समय 2.30 घण्टे, अंक भार 80 निर्धारित हैं।
3. प्रश्नपत्र का निर्माण कक्षा 8 के लिए राज्य द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं नवनिर्मित पाठ्यपुस्तकें (सड़क सुरक्षा से संबंधित अध्ययन सामग्री सहित) के आधार पर किया जाना है।
4. पाठ्यक्रम, प्रश्नपत्र निर्माण में यह तय करने में मदद करेगा कि प्रश्नों में किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आकलन किया जाना है। पाठ्यपुस्तकें इस बात में मदद करेगी कि छात्र/छात्राओं को पाठ्यक्रम में दिए गए अधिगम क्षेत्रों को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के शैक्षिक अनुभव दिए गए हैं।
5. एन.सी.एफ. 2005 एवं मूल्यांकन प्रक्रिया में वर्तमान में आये बदलाव को ध्यान में रखते हुए इसे संशोधित ब्लूमास टैक्सॉनमि 2001 (एन्डरसन एवं क्राथवोहल द्वारा) के आधार पर तैयार किया गया है।
6. ज्ञान अवबोध के आयाम के साथ–साथ ब्लूप्रिंट को तैयार करते समय यह सुनिश्चित किया गया है कि संज्ञानात्मक उच्च श्रेणियों जैसे समझना, प्रयोग करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकित करना और सृजन करना को अधिक अधिभार दिया जाए। इसलिए प्रश्नपत्र निर्माण के दौरान यह ध्यान रखा जाए कि उच्चतर शिक्षाक्रमणीय कौशलों से संबंधित प्रश्न आवश्यक रूप से अधिभार के अनुरूप हों।
7. प्रश्नपत्रों में ब्लूप्रिंट के अनुसार निम्न तरह के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाये जैसे बहुवैकल्पिक, अतिलघूत्तरात्मक, लघूत्तरात्मक, निबन्धात्मक।
8. प्रश्नपत्र निर्माण पाठ्यक्रम के शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित किया जाना है। पाठ्यपुस्तक सहायक साधन के रूप में है तथा बच्चों में पाठ्यक्रम से अपेक्षित दक्षताओं को देखा जाना सुनिश्चित किया गया है। यहां यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि प्रश्न इस प्रकार के हों जो बच्चों की दक्षताओं का आकलन करने में मदद करे ना कि सिर्फ उनकी रटने की क्षमता या याद रखने की क्षमता का आकलन, प्रश्नों का निर्माण इस प्रकार किया जाए जिससे यह आकलित किया जा सके कि छात्र/छात्रा ने पाठ्यक्रम में वर्णित क्षमताओं को प्राप्त कर लिया है। प्रश्न अतिलघु, लघु या निबंधात्मक हो, यह ध्यान रखा जाए कि वह छात्र/छात्राओं की क्षमताओं का आकलन करें।
9. प्रश्न इस प्रकार के हों जो छात्र/छात्राओं को सोच–समझकर अपनी क्षमताओं का प्रयोग करके जवाब/उत्तर देने के लिए प्रेरित करे और अवसर भी दे।
10. सोच–समझकर उत्तर देने वाले प्रश्नपत्र बनाने के लिए यदि चित्र, रेखांकन किया जाना आवश्यक है तो अवश्य बनाएं। यह ध्यान रखें कि प्रश्नपत्र समझना और अपनी क्षमताओं का प्रयोग कर उत्तर देने के अवसर होना छात्र/छात्रा का अधिकार है, अतः प्रश्नपत्र इसी प्रकार का बनाएँ।
11. प्रश्नपत्र निर्माण में 'सड़क सुरक्षा' को प्रश्नपत्रों में 4 अंक देना सुनिश्चित किया गया है जिसके तहत दक्षताओं के साथ इसे जाँचा जाना तय किया गया है। अतः प्रश्नपत्र निर्माण के समय यह ध्यान रखा जाए कि इससे संबंधित प्रश्न अवश्य हों।

12. तृतीय भाषा में सड़क सुरक्षा की सामग्री उपलब्ध न होने के कारण तृतीय भाषा के प्रश्नपत्रों में उपरोक्त का समावेश नहीं है।
13. प्रश्नपत्र के किसी एक प्रश्न में विषय की प्रकृति के अनुसार एक से अधिक शैक्षिक उद्देश्यों को सम्मलित किया जा सकता है।
14. अंग्रेजी विषय में ब्लूप्रिंट भाषा की पाठ्यक्रमणीय उद्देश्यों के आधार पर विस्तारित किया गया है। प्रश्नपत्र निर्माण में इस बात का ध्यान रखा जाए कि प्रश्न पूर्णतया पाठ्यपुस्तक आधारित ना हों।
15. विभिन्न विषयों की प्रकृति के अनुसार इन नवीन संशोधित नील–पत्रों के आधार पर प्रश्न–पत्रों का निर्माण किया जाए।

    विज्ञान एवं गणित विषयों में एण्डरसन एवं क्राथवोहल द्वारा संशोधित टैक्सॉनमि के आधार पर उद्देश्य निम्नानुसार निर्धारित किये हैं–

    - जानकारी का स्मरण करना
    - समझना
    - अनुप्रयोग करना
    - विश्लेषण करना
    - मूल्यांकन करना
    - सृजन करना
    - कौशल प्रयोग करना (रचना)

सामाजिक विज्ञान विषयों में एन्डरसन एवं क्राथवोहल द्वारा संशोधित टैक्सॉनमि के आधार पर उद्देश्य निम्नानुसार निर्धारित किये हैं–

- जानकारी का स्मरण करना
- समझना
- ज्ञानोपयोग करना
- विश्लेषण करना
- मूल्यांकन करना
- सृजन करना
- कौशल प्रयोग करना (रचना)

हिन्दी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती इत्यादि विषयों में एन्डरसन एवं क्राथवोहल द्वारा संशोधित टैक्सॉनमि के आधार पर उद्देश्य निम्नानुसार निर्धारित किये हैं–

- जानकारी का स्मरण करना
- समझना
- अनुप्रयोग करना
- विश्लेषण करना
- मूल्यांकन करना
- सृजन करना (रचना)

उपर्युक्त भाषागत विषयों में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत मुख्यतः पढ़कर समझना (पठन कौशल) तथा लिखकर अभिव्यक्त (लेखन कौशल) करना पर अधिक बल दिया गया है।

द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी विषय में एन्डरसन एवं क्राथवोहल द्वारा संशोधित टैक्सॉनमि के आधार पर उद्देश्य निम्नानुसार निर्धारित किये हैं–

- जानकारी का स्मरण करना
- समझना
- अनुप्रयोग करना
- सृजन करना (रचना)

Reprint of English is essentially based on the amalgamation of the two taxonomies.

1. **Remembering :** it refers to recalling and recognizing the lexical and structural and ideational content taught through the prescribed text and learning resources.
2. **Understanding :** it refers to the comprehension based on the unseen passage/text and it aims at testing/evaluating the sub skills of reading comprehension. It does not refer to the understanding based on the prescribed text.
3. **Applying :** It refers to using the lexical and structural items along with the understanding of the language content and language skills in contextually new and challenging situations.
4. **Creating** : It refers to applying the prescribed lexical and structural items and ideational content through the prescribed language skills (Writing) in a new, Imaginative and creative manner for communicative purposes.